21/11/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित।
अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रकरण में एक
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC का
प्रस्तुत किया जिस पर अधिवक्ता वादी ने
जवाब नहीं देकर सीधे बहस की गई।
अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र के
समर्थन में कथन किया कि धारा 188
RT act के तहत रिलीफ केवल खातेदार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता0 अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
प्राप्त कर सकता है। वादग्रस्त आराजी में वादी खातेदार नहीं है। वादी खातेदार का पुत्र है, परंतु खाते में अभी प्रतिवादी क्रम (1) का ही नाम दर्ज है इसलिए खातेदार नहीं होने के कारण कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है एवं वाद विधि द्वारा बाधित है अतः O 7R(11) CPC का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इसी स्तर पर खारिज किया जावे। अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी क्रम (1) की पैतृक संपत्ति होने के कारण उसका नोशनल शेयर है और इस हक से वह स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। धारा 188 RT act का अवलोकन किया गया। धारा 188 RT act में अनुतोष केवल खातेदार प्राप्त कर सकता है, वादग्रस्त आराजियात मौजा ग्राम बरावदी खाता सं 109 नई खसरा नं0 163/0.35, 243/.09, 246/0.15, 248/.08, 43/0.99 48/0.78 कुल किता 6 कुल 2.44 है0 एवं ग्राम बरावदा खाता सं 194 ~~खसरा नं~~ 1012/0.78, 1032/0.76 है0 कुल किता 2 रकबा 1.54 है0	

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज0)

तारीख व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिबल्स जज
	के खातेदार मथुरालाल पुत्र शंकरलाल है, वादी ~~का~~ वादग्रस्त आराजियात का खातेदार नहीं है इसलिए वाद विधि द्वारा बाधित है एवं वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ~~धारा~~ आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार किया जाकर वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास पढ़कर सुनाया गया। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) (अंजना सहसवता) उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)